

परियोजना का नाम:- राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि.मी. 17 से मन्थूणा होते हुए नरगवाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्राक्कलन मय रख-रखाव
(1 है० से कम के प्रस्तावों के लिए)

वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

- अलेख ई।

वन क्षेत्र अधिकारी
वज्यूला
(विज्यूला)

वन प्रशासक वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 17 से मन्थूणा होते हुए नरगवाड़ी तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.625 कि.मी. के निर्माण में प्रभावित होने वाले 14 वृक्षों के दस गुना अर्थात् 140 वृक्षों के रोपण हेतु वृक्षारोपण योजना।

- 1 परियोजना का नाम- बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 17 से मन्थूणा होते हुए नरगवाड़ी तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.625 कि०मी०
- 2 पौधारोपण स्थल का नाम- आरक्षित वन क्षेत्र में रिक्त स्थान पर।
- 3 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 14 x 10 = 140 पौध
- 4 रोपित की जाने वाली प्रजाति - हरड़, आंवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, ववैराल, भीमल, शीठा आदि।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	1.0	97.00	97.00
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	1.0	584.00	584.00
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 है० को आधार मानकर)	1.0	7750.00	7750.00
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति है० 84 घ०मी० औसत	84.00	315.00	26460.00
5	गड़ढा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	140	7.33	1026.20
6	निरीक्षण बटिया	1.0	485.00	485.00
7	पौधों का मूल्य	140	5.89	824.60
8	ओजार तेज कराई		LS	400.00
	1- प्रथम चरण का योग			37626.80
1	गड़ढा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	140	1.15	161.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष।	140	1.15	161.00
3	पौध दुलान कार्य (25 % नंगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि०मी० सिरबोझ औसत पर)	140	6.39	894.60
4	पौधारोपण व थावलबंदी	140	2.06	288.40
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	140	0.76	106.40
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति सैकड़ा पौध।	140	0.21	0.29
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है० पर)।	1.0	4768.00	4768.00
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.0	350.00	350.00
9	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.0	225.00	225.00
10	2.3 वृक्षारोपण से लीगलित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु सप्रशिक्षण तगी अग्नि सुरक्षा में सउल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को सप्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.0	400.00	400.00
11	ब- प्रोत्साहन	1.0	200.00	200.00
12	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डैक्यूमेन्टेशन आदि कार्य।	1.0	700.00	700.00
	2- द्वितीय चरण का योग			8254.69
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	1.0	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.0	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.0	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लीगलित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु सप्रशिक्षण तगी अग्नि सुरक्षा में सउल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को सप्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.0	310.00	310.000
5	ब- प्रोत्साहन	1.0	200.00	200.00
	3- तृतीय चरण का योग			8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.0	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.0	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लीगलित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु सप्रशिक्षण तगी अग्नि सुरक्षा में सउल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को सप्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.0	310.00	310.000
5	ब- प्रोत्साहन	1.0	200.00	200.00
	4- चतुर्थ चरण का योग			8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	1.0	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.0	200.00	200.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.0	150.00	150.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.0	310.00	310.000
5	ब- प्रोत्साहन	1.0	200.00	200.00
	5- पंचम चरण का योग			8012.00

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	1.0	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.0	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.0	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.0	310.00	310.000
5	ब- प्रोत्साहन	1.0	200.00	200.00
6- षष्ठम चरण का योग				8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	1.0	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.0	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.0	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.0	310.00	310.000
5	ब- प्रोत्साहन	1.0	200.00	200.00
7- सप्तम चरण का योग				8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.0	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.0	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.0	310.00	310.000
5	ब- प्रोत्साहन	1.0	200.00	200.00
8- अष्टम चरण का योग				8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	1.0	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.0	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.0	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.0	310.00	310.000
5	ब- प्रोत्साहन	1.0	200.00	200.00
9- नवम चरण का योग				8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	1.0	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.0	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.0	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.0	310.00	310.000
5	ब- प्रोत्साहन	1.0	200.00	200.00
10- दशम चरण का योग				8237.00
महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)				111552.49
अर्थात् रू0				111552.00

(रुपये एक लाख ग्यारह हजार पांच सौ बावन मात्र)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,